अध्याय 6

निष्कर्ष और सिफारिशें

अध्याय 6

निष्कर्ष और सिफारिशें

6.1 निष्कर्ष

पीपीपी मॉडल बुनियादी ढाँचे में शीघ्रता से वृद्धि और प्रयोगकर्ताओं को बेहतर गुणवत्ता सेवा प्रदान करने के लिए था। हालांकि मैरीटाइम एजेंडा 2010-2020 द्वारा परिकल्पित 315.23 एमएमटीपीए के अतिरिक्त परिकल्पित क्षमता में से 2010-12 के दौरान पत्तनों ने 79.80 एमएमटीपीए (25.31 प्रतिशत) क्षमता वृद्धि की। 31 मार्च 2014 में पीपीपी परियोजनाओं ने प्रमुख पत्तनों की क्षमता के केवल 33 प्रतिशत का अंशदान किया। इस प्रकार परियोजनाओं के कार्यान्वयन की धीमी प्रगति के कारण पीपीपी मॉडल का सहारा लेने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया।

पत्तनों ने पीपीपी परियोजनाओं को उप्युक्त रूप से संरचना नहीं की जिसके परिणामस्वरूप पत्तनों के दीर्घकालिक हितों की पर्याप्त रूप से सुरक्षा नहीं की गई।

हमने बोली प्रक्रियाओं और पीपीपी साझीदारों के चयन में अनियमितता देखी सीओपीटी के रियायती को ₹ 40.23 करोड़ की महत्वपूर्ण रियायत बोली पश्चात् दी गई थी।

आईईएस की नियुक्ति, परियोजनाओं हेतु पर्यावरणीय मंजूरी लेने, परियोजना स्थल को समय पर सौंपने और अधिक चैनल में समर्पित प्रारूप तैयार के प्रावधान के संबंध में पत्तनों/मंत्रालय की ओर से उत्तरदायित्व पूरा करने मे देरी/पूरा न करने के कारण परियोजनाओं को चालू करने और पत्तनों को राजस्व आय पर प्रभाव पड़ा। रियायतियों द्वारा पूर्ववर्ती शर्तों को न पूरा करना भी परियोजनाओं को चालू करने में देरी के मुख्य कारणों में से एक था।

2008 से पूर्व पत्तनों में शब्द 'सकल राजस्व' की कोई मानक परिभाषा नहीं थी। राजस्व बँटवारा व्यवस्थाओं में कमियाँ, लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के प्रावधानों में अंतर और पत्तनों द्वारा संचालन डाटा के स्वतंत्र सत्यापन के माध्यम से नियंत्रण करन में कमी देखी गई थी।

6.2 सिफारिशें

6.2.1 *मंत्रालय एक तंत्र स्थापित कर सकता है जहाँ पत्तनों में सर्वोत्तम व्यवस्थाएं साझा की जा सके तथा पीपीपी परियोजनाओं का स्वरूप तैयार करते समय सूचित की जा सकें।*

6.2.2 *निजी संचालक को दी गई परियोजना के कार्यक्षेत्र को सावधानीपूर्वक निर्धारित करना चाहिये और बोली के बाद परिवर्तित नही होना चाहिये चूँकि यह बोली प्रक्रिया की शुद्धता को निष्फल करता है।*

6.2.3 *मंत्रालय/पत्तन को सीए हस्ताक्षरित करने के लिये निविदा जारी करने से बोली प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिये निर्धारित समय सीमा का पालन सुनिश्चित करना चाहिये।*

6.2.4 *एमओएस को चयन की प्रक्रिया को मानकीकृत करना चाहिए तथा स्वतंत्र अभियंताओं की नियुक्ति करनी चाहिए।*

6.2.5 *एमओएस/पत्तनों को निविदाकरण प्रक्रिया शुरू करने पूर्व ही प्रत्येक परियोजना की समय पर पर्यावरणीय मंजूरी लेने हेतु एक तंत्र बनाने की आवश्यकता है।*

6.2.6 *राजस्व हिस्सेदारी भुगतान को कम प्राथमिकता देने के मद्देनजर यह सुझाव दिया जाता है कि पत्तन के लेखे का रिएल टाइम स्थानान्तरण सुनिश्चित करने हेतु एक प्रणाली की योजना बनाई जाए। इससे किसी बकाये अथवा इस खाते पर अनुवर्तन की आवश्यकता से बचा जा सकता है।*

मंत्रालय ने हमारी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए पत्तनो को पहले ही अनूदेश जारी कर दिए है।

नई दिल्ली
दिनांकः 26 नवम्बर 2015

(प्रसेनजीत मुखर्जी)
उप-नियंत्रक महालेखापरीक्षक एवं
अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांकः 26 नवम्बर 2015

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक